



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012021-224301  
CG-DL-E-09012021-224301

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]  
No. 9]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी 2021

फा. सं. CEA-PS-11-21(21)/9/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स एम/एस एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, वर्ल्डमार्क-2, एसेट एरिया-8, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, एयरोसिटी, नई दिल्ली-110037 है, ने पारेषण योजना “मैसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड की हापासर बीकानेर, राजस्थान के पास में 300MW की सौर ऊर्जा परियोजना की कनेक्टिविटी प्रणाली” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division दिनांक 31.01.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड की हापासर बीकानेर, राजस्थान के पास में 300MW की सौर ऊर्जा परियोजना की कनेक्टिविटी प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मेसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड की हापासर बीकानेर, राजस्थान के पास में 300MW की सौर ऊर्जा परियोजना की कनेक्टिविटी प्रणाली” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो

टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. एस.बी.एस.आर. इलेवन सौर ऊर्जा परियोजना - बीकानेर 220 के.वी. एस./सी. लाईन \*

\* समस्त लाईन का निर्माण डी./सी. टावरों पर एवं बीकानेर पी.एस. के समीप 2-3 किलोमीटर एम./सी. टावरों पर किया जायेगा

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरिलाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

**राज्य: राजस्थान**

| गाँव का नाम                                                | तहसील    | जिला    |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| अकेडियावाला, लालसर, दाउदसर, जामसर, खीचिया, जालासर (जलालसर) | बीकानेर  | बीकानेर |
| हापासर                                                     | लूणकरणसर | बीकानेर |

मेसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को "मेसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड की हापासर बीकानेर, राजस्थान के पास में 300MW की सौर ऊर्जा परियोजना की कनेक्टिविटी प्रणाली" पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक फरवरी 29 से मार्च 6, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।

- (vii) मेसर्स एस.बी.एस.आर. पावर क्लीनटेक इलेवन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

बी.के. मिश्रा, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन -III/4/असा./446/2020-21]

## CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

### ORDER

New Delhi, the 5th January, 2021

**F. No. CEA-PS-11-21(21)/9/2020-PSPA-I Division.**—whereas M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Limited (SBSRPCEPL), the applicant with its registered office at 1st Floor, Worldmark-2, Asset Area-8, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110037, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system of M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Ltd (SBSRPCEPL) for its 300MW solar generation project in Hapasar near Bikaner, Rajasthan”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division dated 31.01.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity system of M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Ltd (SBSRPCEPL) for its 300MW solar generation project in Hapasar near Bikaner, Rajasthan”.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system of M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Ltd (SBSRPCEPL) for its 300MW solar generation project in Hapasar near Bikaner, Rajasthan”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. SBSR Eleven Solar Power Project – Bikaner 220kV S/c line\*

\* Entire line would be constructed on D/c towers except last 2-3 kms on M/c towers near Bikaner PS

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

#### STATE :RAJASTHAN

| Names of the village                                       | Tehsil      | District |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Akadeeyawala, Lalsar, Daudsar, Jamsar, Kheechiya, Jalalsar | Bikaner     | Bikaner  |
| Hapasar                                                    | Lunkaransar | Bikaner  |

M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- The approval is granted for 25 years;
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system of M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Ltd (SBSRPCEPL) for its 300MW solar generation project in Hapasar near Bikaner, Rajasthan”. The details of the works are published in the Gazette of India dated February 29 - March 6, 2020.
- (v) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s SBSR Power Cleantech Eleven Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V.K. MISHRA, Secy., CEA  
[Advt. III/4/Exty./446/2020-21]